हीलियम पर चीन का निर्यात-निषेध और भारत की निर्भरता

अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान-प्रौद्योगिकी | समाचार संदर्भ: 10 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

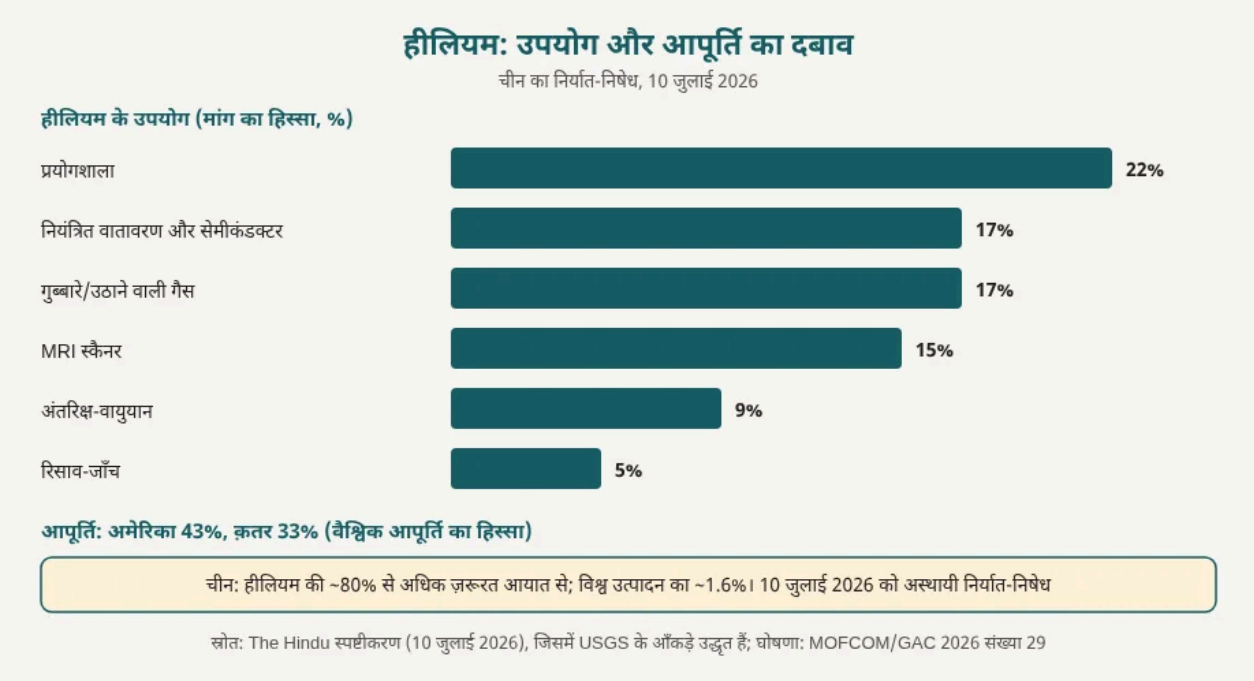
हीलियम पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम और थोरियम के रेडियोधर्मी क्षय से बनी ऐसी गैस है जो प्राकृतिक गैस के भंडारों में मिलती है। इसे कारखाने में बनाया नहीं जा सकता। द हिंदू के स्पष्टीकरण-लेख के अनुसार इसका क्वथनांक लगभग −269 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसका उपयोग MRI के चुंबकों और सेमीकंडक्टर वेफ़र को ठंडा रखने, रॉकेट के ईंधन-टैंक पर दबाव बनाने और रिसाव-जाँच जैसे कामों में होता है। ऐसी गैस के लिए आपूर्ति के कुछ ही स्रोत हों, तो उसका निर्यात-निषेध सिर्फ़ एक देश का व्यापार-निर्णय नहीं रहता।

खबरों में क्यों

चीन के वाणिज्य मंत्रालय (MOFCOM) और सीमा-शुल्क महा-प्रशासन ने 10 जुलाई 2026 को संयुक्त घोषणा संख्या 29 (2026) जारी कर हीलियम (सीमा-शुल्क कमोडिटी कोड 2804290010) पर अस्थायी निर्यात-निषेध लगाया। घोषणा के पाठ के अनुसार यह जारी होने की तिथि से लागू है और आगे के बदलाव अलग से घोषित होंगे। 16 जुलाई 2026 की प्रेस-वार्ता में MOFCOM ने कहा कि चीन हीलियम का बड़ा आयातक है, यह कदम घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है, और चीन के अनुसार यह उसके विदेश-व्यापार कानून तथा WTO नियमों के अनुरूप है। घोषणा में निषेध की अवधि या कारण का उल्लेख नहीं है। इस लेख के सभी कथन 10 और 16 जुलाई 2026 की स्थिति पर टिके हैं। 17 अक्टूबर 2026 तक निषेध के हटने या बदलने की कोई घोषणा हमें MOFCOM के स्रोतों में नहीं मिली, पर यह खोज पूरी नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा रहा कि निषेध आज भी लागू है।

मुख्य अवधारणा: अस्थायी निर्यात-निषेध

अस्थायी निर्यात-निषेध का अर्थ है किसी वस्तु के निर्यात पर रोक, जिसकी अंतिम तिथि पहले से तय नहीं होती और जिसे सरकार बाद में बदल सकती है। इस मामले में घोषणा स्वयं कहती है कि बदलाव “अलग से घोषित” होंगे। चीन का तर्क घरेलू आपूर्ति सुरक्षित करना है। इस लेख में निषेध के असर का कोई मात्रात्मक अनुमान नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे स्रोतों में चीन के निर्यात की मात्रा नहीं मिली।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

घोषणा	**MOFCOM और सीमा-शुल्क महा-प्रशासन, घोषणा संख्या 29 (2026), 10 जुलाई 2026; कमोडिटी कोड 2804290010; जारी होने की तिथि से लागू; आगे के बदलाव अलग घोषणा से**
चीन का कथन (16 जुलाई 2026)	चीन हीलियम का बड़ा आयातक है; घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी निषेध; चीन के अनुसार विदेश-व्यापार कानून और WTO नियमों के अनुरूप
चीन की स्थिति (द हिंदू)	अपनी ज़रूरत का 80% से अधिक हीलियम आयात करता है; विश्व उत्पादन का लगभग 1.6% उत्पादित करता है
विश्व आपूर्ति (द हिंदू)	अमेरिका लगभग 43%, क़तर लगभग 33%; शेष में रूस, कनाडा, अल्जीरिया; रूस के निर्यात-प्रतिबंध और पश्चिम एशिया का तनाव आपूर्ति पर दबाव
भारत (MP-IDSA, 21 मई 2026)	घरेलू हीलियम उत्पादन नहीं; क़तर भारत के हीलियम का 50% से अधिक देता है; मार्च 2026 में भारत में हाज़िर क़ीमतें 70-100% बढ़ीं

निषेध का असर कैसे फैल सकता है

चीन के भीतर: घरेलू भंडार की रक्षा: चीन अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए घरेलू उपलब्धता बचाए रखना उसका बताया गया उद्देश्य है। द हिंदू के अनुसार इसका लाभ चीन के चिप-निर्माताओं और चिकित्सा क्षेत्र को मिल सकता है। यह स्पष्टीकरण-लेख का आकलन है, MOFCOM का कथन नहीं।

वैश्विक बाज़ार: पहले से तंग आपूर्ति: द हिंदू के अनुसार जून 2026 में उत्तर-पूर्व एशिया में शुद्ध हीलियम की हाज़िर क़ीमत 2025 के अंत से लगभग दोगुनी हो चुकी थी, और एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता ने अपने अनुबंधों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था। यानी निषेध पहले से दबाव में चल रहे बाज़ार में आया।

भारत: आयात-निर्भरता: MP-IDSA की मई 2026 की ब्रीफ़ के अनुसार भारत में घरेलू उत्पादन नहीं है और आधे से अधिक हीलियम क़तर से आता है। चीन के निषेध से भारत पर सीधा असर कितना पड़ा, यह हमारे स्रोतों से तय नहीं होता, क्योंकि भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी हमें नहीं मिली।

यह घटना क्यों मायने रखती है

महत्त्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति-शृंखला: हीलियम का उदाहरण दिखाता है कि कम स्रोतों वाली, गैर-नवीकरणीय और भंडारण में महँगी वस्तु पर निर्यात-नियंत्रण का असर दूर तक जाता है। लागत और भंडारण की ये बातें द हिंदू के स्पष्टीकरण पर आधारित हैं।

भारत के लिए नीतिगत प्रश्न: MP-IDSA की ब्रीफ़ घरेलू आपूर्ति की कमी को संरचनात्मक कमज़ोरी बताती है और वैकल्पिक शीतलन-तकनीक तथा साझा क्रायोजेनिक ढाँचे पर शोध-समर्थन को निकट-अवधि की प्राथमिकता कहती है। ये ब्रीफ़ के सुझाव हैं, सरकारी नीति नहीं।

बहस के बिंदु और सावधानियाँ

निषेध की मंशा और अवधि: घोषणा में कारण और अवधि नहीं है। 16 जुलाई का कारण चीन का अपना कथन है, जिसे हमने स्वतंत्र रूप से नहीं परखा, और “WTO नियमों के अनुरूप” होना भी चीन का दावा है।

आँकड़ों का स्रोत: चीन की आयात-निर्भरता, आपूर्ति के हिस्से और उपयोग के प्रतिशत द हिंदू के स्पष्टीकरण से हैं, जिसमें USGS के आँकड़े उद्धृत हैं। हमने USGS के मूल दस्तावेज़ नहीं पढ़े।

भारत पर असर: भारत का क़तर पर निर्भर होना MP-IDSA की ब्रीफ़ का कथन है। भारत सरकार का कोई आधिकारिक आँकड़ा या प्रतिक्रिया हमने नहीं पढ़ी।

आगे की राह

आगे देखने की बातें ये हैं: 17 अक्टूबर 2026 की स्थिति हमारे स्रोतों से पुष्ट नहीं है; चीन निषेध की अवधि और उसमें बदलाव कब घोषित करता है, हीलियम की अंतरराष्ट्रीय क़ीमतें कैसी रहती हैं, और भारत हीलियम के लिए आपूर्ति के स्रोत कैसे बढ़ाता है। इन पर हमारे पास जुलाई 2026 के बाद की जारीकर्ता-पुष्ट जानकारी नहीं है।

अवधारणा में अंतर

तीन बातें अलग रखें: (1) चीन की घोषणा का पाठ, जो केवल निषेध, कोड और प्रभावी तिथि बताता है; (2) चीन का 16 जुलाई का स्पष्टीकरण, जो उसका अपना पक्ष है; और (3) द हिंदू और MP-IDSA के आँकड़े और आकलन, जो द्वितीयक स्रोत हैं।

मेंस दृष्टि

GS-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध और व्यापार; GS-III: विज्ञान-प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और आपूर्ति-शृंखला। उत्तर में तथ्य (10 जुलाई 2026; कोड 2804290010; आयात-निर्भरता) और स्रोत की सीमाएँ दोनों लिखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

चीन द्वारा हीलियम के निर्यात पर लगाए गए अस्थायी निषेध के संदर्भ में हीलियम की आपूर्ति-शृंखला की संवेदनशीलता की व्याख्या कीजिए। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: निषेध और हीलियम की विशेषताएँ।

मुख्य भाग में: आपूर्ति की संरचना और उपयोग; चीन का तर्क और उसकी सीमा; भारत की निर्भरता; नीतिगत विकल्प (स्रोतों का विविधीकरण, शोध-समर्थन)।

निष्कर्ष में: हीलियम के उपयोग और केंद्रित आपूर्ति को देखते हुए स्रोत-विविधीकरण तथा शोध-समर्थन के विकल्प परखें; चीन का घोषित तर्क, समाचार-आधारित आँकड़े और भारत की निर्भरता का ब्रीफ़-आधारित कथन अलग रखें, तथा निषेध की वर्तमान स्थिति पुष्ट न मानें।

स्रोत

- MOFCOM और सीमा-शुल्क महा-प्रशासन, घोषणा 2026 संख्या 29: हीलियम पर अस्थायी निर्यात-निषेध (10 जुलाई 2026), चीनी पाठ
- MOFCOM नियमित प्रेस-वार्ता, 16 जुलाई 2026 (अंग्रेज़ी पाठ)
- The Hindu: China’s temporary export ban on helium | Explained (10 जुलाई 2026)
- MP-IDSA इश्यू ब्रीफ़: A Helium Shock to India’s Quantum Technology Ambitions (21 मई 2026), केवल सार और शुरुआती अनुच्छेद पढ़े गए

MOFCOM की घोषणा और प्रेस-वार्ता का उत्तर पूरा पढ़ा गया (चीनी पाठ का अनुवाद हमारा है)। द हिंदू का स्पष्टीकरण पढ़ा गया। MP-IDSA ब्रीफ़ का केवल सार और शुरुआती अनुच्छेद पढ़ा गया। USGS, भारत सरकार या भारतीय आयात-आँकड़ों का कोई मूल स्रोत नहीं पढ़ा गया। निषेध की वर्तमान स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी: MOFCOM की साइट पर घोषणा संख्या 29 का पाठ 17 अक्टूबर 2026 को वही मिला और उसमें कोई संशोधन-सूचना नहीं दिखी, पर MOFCOM के सभी बाद के नोटिस की पूरी जाँच नहीं की गई। एक तृतीय-पक्ष समाचार-साइट (Beijing Post, 17 अक्टूबर 2026) ने निषेध जारी रहने की बात लिखी, पर उसमें जारीकर्ता का कोई उद्धरण नहीं मिला, इसलिए उसे आधार नहीं बनाया गया।

याद रखें: चीन ने 10 जुलाई 2026 को हीलियम के निर्यात पर अस्थायी निषेध लगाया (वर्तमान स्थिति हमारे स्रोतों से पुष्ट नहीं); भारत में घरेलू उत्पादन नहीं है और MP-IDSA के अनुसार आधे से अधिक आपूर्ति क़तर से आती है।